न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.**
पत्रावली संख्या. 05/2025
किस्म :–प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 25.02.2025

निर्णय दिनांक: 20.03.2025

उनवान

1. श्री नटवरसिंह चौहान पिता शैलसिंह जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी खारण्डिया तहसील व जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती प्रियंका कंवर पत्नि नटवरसिंह जी जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी खारण्डिया तहसील व जिला राजसमन्द (राज०)
3. मैसर्स कामख्या नेचुरल रिसोर्स खारण्डिया, निवासी खारण्डिया तहसील व जिला राजसमन्द (राज०)

....................**प्रार्थीगण**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारगढ, जिला राजसमंद

....................**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास
विपक्षी की ओर से :– पेरोकार सरकार

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 रिकॉर्ड मे रास्ता दर्ज करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव जैतपुरा पटवार हल्का जैतपुरा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी के हक अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि जिसके खाता संख्या 633 आराजी नम्बर 3131/249 रकबा 0.8000 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 0.8000 हैक्टर है। उपरोक्त भूमियों के आगे की तरफ विपक्षी की बीलानाम भूमि ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का जैतपुरा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द की निम्नलिखित भूमियां स्थित हैं जिसके खाता संख्या 01 आराजी नम्बर 2626/249 रकबा 0.7000 हैक्टेयर कुल किता 01 रकबा 0.7000 हैक्टर है। प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 633 आराजी नम्बर 3131/249 रकबा 0.8000 हैक्टेयर में जाने के लिये एक रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 2626/249 में से होता हुआ मुख्य रास्ता आराजी नम्बर 308 पर जाता है उक्त रास्ता कई वर्षो से स्थापित होकर वर्तमान में भी बना हुआ है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिये करते हैं। मौके पर स्थित रास्ते के अलावा ओर अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। नक्शें में रास्ते की अनुपलब्धता के कारण भूमियां उजड पडी हुई हैं, एवं रास्ता विपक्षी की खाते दर्ज होने से प्रार्थी अपनी भूमि

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

का कोई उचित उपयोग उपभोग आदि नही कर सक रहा है तथा कोई उद्योग आदि नही लगा सकता है तथा कोई सरकारी संस्था से ऋण नहीं ले पा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी विपक्षी की खातेदारी से धारा 251 क के तहत रास्ता क्लेम राजस्व रेकार्ड व नक्शे में रास्ते का तरमीम करवाना आवश्यक है, तथा इस हेतु नियमानुसार न्यायालय द्वारा तय किये जाने वाली राशि भी अदा करने को तैयार व तत्पर हैं। प्रार्थी अपनी भूमि का भूमि का सही उपयोग उपभोग करना चाहता है तथा भूमि को रूपान्तरण करवाना चाहता है जिसमें प्रार्थी के भूमि के आगे विपक्षी की भूमि होने से भूमि रूपान्तरण नही हो सकती है तथा बीलानाम भूमि होने से कभी भी रास्ता बन्द कर सकतें है। उक्त रास्ता रेकार्ड में दर्ज नही होता है तो प्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग नही कर पायेगा तथा यदि उक्त रास्ते को दर्ज नही किया जाता है तो भी प्रार्थी अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं कर पायेगा। इसलिये उक्त भूमि में जाने का जो रास्ता है उक्त विद्यमान रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना नितान्त अनिवार्य हैं। प्रार्थी अपनी भूमि का सही उपयोग कर सकें और भूमि को सही रूप से विकसित कर सकें। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी तहसीलदार सरदारगढ के यहां रिपोर्ट देकर निवेदन किया कि मौके पर जो रास्ता विद्यमान हैं उसे राजस्व रेकार्ड में दर्ज करे ताकि प्रार्थी अपनी भूमि में आसानी से आ जा सकें तथा भूमि का समुचित उपयोग उपभोग कर सकें परन्तु आप तहसीलदार सरदारगढ द्वारा रास्ते हेतु राजस्व न्यायालय में जाने हेतु कहा। यदि विपक्षी द्वारा रास्ता प्रार्थी को नही दिया जाता है तो प्रार्थी की भूमि में जाने का कोई ओर रास्ता नही रहेगा और न ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग हो पायेगा साथ ही यदि रास्ते को दर्ज नहीं किया जाता है तो भी प्रार्थी की भूमि का सही तरिके से उपयोग उपभोग नही हो पायेगा। इसलिये प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 633 आराजी नम्बर 3131/249 रकबा 0.8000 हैक्टेयर पर जाने के लिये विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 2626/249 में से रास्ता दिलवाया जावें तथा स्थित रास्तें को रेकार्ड पर विद्यमान किया जावें अन्यथा प्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग नहीं कर पायेगा तथा प्रार्थी के हको पर भारी कुठाराघात होगा तथा प्रार्थी की ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई सम्भव नहीं होगी। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का जैतपुरा की आराजी संख्या 2626/249 मे से जाने के लिये एक रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे तथा विद्यमान रास्ते को राजस्य रेकार्ड में अंकित किया जायें तथा स्थित रास्ते को बीलानाम में से रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें। प्रार्थना पत्र के लिये कारण दिनांक 10.02.2025 को जब प्रार्थी के द्वारा भूमि रूपान्तरण करने की प्रकिया शुरू करने से तथा उक्त भूमि को उद्योग रूपान्तरण करवाने हेतु आवेदन करने तथा उक्त रास्ता विपक्षी के नाम से दर्ज होने से एवं रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने से उत्पन्न होकर तथा रास्ता दर्ज करने के लिये प्रार्थी को यह कहकर इंकार कर दिया कि रास्ते हेतु सक्षम न्यायालय से रास्ता प्राप्त करे बमुकाम जैतपुरा न्यायालय क्षेत्र आप में उत्पन्न हुआ है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क आर टी. एक्ट के तहत स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम जैतपुरा पटवार हल्का जैतपुरा की खाता संख्या 633 आराजी नम्बर 3131/249 रकबा 0.8000 हैक्टेयर में जाने के लिये आराजी नम्बर 2626/249 में

उपखण्ड अधिकारी आमेट

से एक 30 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावें तथा विद्यमान रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गय तहसीलदार सरदारगढ़ ने मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री नटवर सिह पिता शैल सिह, पियका कंवर पत्नि शैलसिह एंव मैसर्स कामारआ नेचुरल रिसोर्स खराणडया द्वारा अपने खातेदारी भूमि ग्राम जेतपुरा के आराजी नम्बर 3131/249 रकबा 0.8000 हैक्टेयर मे जाने आने हेतु धारा 251ए के अन्तर्गत ग्राम जैतपुरा के आराजी नम्बर 2626/249 रकबा 0.7000 हैक्टेयर किस्म बिलानाम मे से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी को आरजी नम्बर 3131/249 मे आने–जाने की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी चाहे गये रास्ते के अलावा और काई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रस्तावित रास्ते मे वर्तमान मे कोई भी पेड–पोध मौजूद नही है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते 26 मीटर लम्बा तथा 9.14 मीटर (30 फिट) चौडा कुल रकबा 238 वर्ग मीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 308 सडक जैतपुरा से धायला मे मिलता है तथा रास्ता दिया जाना उचित होगा। तहसील राजस्व लेखाकार की गणना अनुसार ग्राम जेतपुरा की आराजी नम्बर 2626/249 रकबा 0.7000 हैक्टेयर किस्म बझड मे से रकबा 0.0238 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई जिसकी गणना वर्तमान डी.एल.दर. अनुसार डी.एल.सी. दर 683000/– प्रति हैक्टेयर असिचित भूमि होने से रकबा 0.7000 हैक्टेयर मे से 0.0238 हैक्टेयर यानि 238 वर्गमीटर अनुसार राशि 16255/– की दुगुनी राशि 32510/– रूपये कुल राशि बत्तीस हजार पांच सौ दस रूपये बनते है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 633 आराजी नम्बर 3131/249 रकबा 0.8000 हैक्टेयर में जाने के लिये एक रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 2626/249 में से होता हुआ मुख्य रास्ता आराजी नम्बर 308 पर जाता है उक्त रास्ता कई वर्षों से स्थापित होकर वर्तमान में भी बना हुआ है तथा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिये करते हैं। मौके पर स्थित रास्ते के अलावा ओर अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर तहसीलदार सरदारगढ की मौका रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रार्थी को मौके पर आराजी नं. 3131/249 भूमि मे आने–जाने हेतु राजस्व रेकार्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है, न ही उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 3131/249 मे आने–जाने हेतु विपक्षी की आराजी नं. 2626/249 किस्म बिलानाम मे से लम्बाई 26 मीटर एवं चौड़ाई 9.14 मीटर रकबा 0.0238 हैक्टेयर रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व गांव जैतपुरा पटवार हल्का जैतपुरा तहसील सरदारगढ़ जिला राजसमन्द में प्रार्थी के खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी नम्बर 3131/249 में आने–जाने के लिए विपक्षी की आराजी नं. 2626/249 किस्म बिलानाम मे से लम्बाई 26 मीटर एवं चौड़ाई 9.14 मीटर रकबा 0.0238 हैक्टेयर रास्ता बिलानाम रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसकी वर्तमान डी. एल.दर. अनुसार डी.एल.सी. दर 683000/– प्रति हैक्टेयर असिचित भूमि होने से रकबा 0. 7000 हैक्टेयर मे से 0.0238 हैक्टेयर यानि 238 वर्गमीटर अनुसार राशि 16255/– की दुगुनी राशि 32510/– रूपये कुल राशि बत्तीस हजार पांच सौ दस रूपये **तहसील कार्यालय में जमा करावें।** उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)